महत्वपूर्ण/आवश्यक
संख्या–340/एक–11–2021–06(जी)/2019

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 **लखनऊ : दिनांक : 12 मई, 2021**

विषय–बाढ़/अतिवृष्टि की आपदा से निपटने हेतु बचाव व राहत कार्यों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि प्रत्येक वर्ष बाढ़/अतिवृष्टि से प्रदेश के कई जनपद प्रभावित होते है। बाढ़ के दौरान जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत कैम्पों में अस्थायी रूप से रखा जाता है। इन कैम्पों में उच्च कोटि की सुविधाएं प्रदान की जाय, जिससे कि राहत कैम्पों में आवासित व्यक्तियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ऐसी आपदाओं के दौरान कॉरपोरेट संस्थान, स्वयंसेवी संस्थाए तथा अन्य दान–दाताओं द्वारा भी राहत सामग्री जैसे–ड्राई राशन, कपड़े, बर्तन, पानी की बोतलें, कम्बल, तिरपाल, जरीकेन, सेनेटरी नैपकिन, दवाईयां आदि वितरित की जाती है। उक्त सामग्री का यदि आवश्यकतानुसार एवं योजनाबद्ध ढंग से वितरण किया जाए तो राहत सामग्री का लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सकता है। बाढ़ के दौरान कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों/वालन्टियर्स द्वारा उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की जाती है। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों/वालन्टियर्स को उनके बाढ़ प्रबंधन में उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग–11 के पत्र संख्या–569/एक–11–2020–रा0–11, दिनांक 10.07.2020 द्वारा जनपदों को कार्यवाही हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये थे।

2– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाढ़/अतिवृष्टि की आपदा से निपटने हेतु बचाव व राहत कार्यों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर अवश्य ध्यान रखा जाय :–

(1) राहत कैम्पों की स्थापना एवं संचालन

राहत कैम्प के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो नायब तहसीलदार से अन्यून न हो।

1. राहत कैम्प हेतु ऐसे स्थल का चयन किया जायेगा जो कि आवागमन की दृष्टि से सुगम, बाढ क्षेत्र से बाहर एवं ऊचांई पर स्थित हो।
2. कैम्प में शरणार्थियों के लिए साफ–सुथरा बिस्तर, तकिया, चादर एवं चारपाई तथा पंखे आदि की व्यवस्था की जायेगी।
3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार प्रति व्यक्ति लगभग 3.5 वर्ग मीटर स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
4. राहत कैम्प में स्वच्छ, पोषण युक्त, ताजा भोजन की प्रतिदिन दो बार व्यवस्था की जायेगी। बच्चो एवं वृद्ध के भोजन में केला, दूध, बिस्किट, सत्तू, दलिया आदि भी सम्मिलित किया जायेगा।

5. स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु वाटर ए0टी0एम0, कैन, क्लोरीनेटेड वाटर टैंकर, आदि की व्यवस्था की जायेगी।
6. कैम्प में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जेनसेट, सोलर लालटेन आदि का भी प्रबंध किया जायेगा।
7. कैम्प में शरणार्थियों के लिए मनोरंजन कक्ष/स्थल चिन्हित कर उसमें टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि की व्यवस्था की जायेगी।
8. कैम्प में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किये जायेंगे। महिलाओं की विशेष सुरक्षा हेतु महिला गार्ड़ (होमगार्ड/पी0आर0डी0 आदि) की नियमित पालीवार (24x7) ड्यूटी लगाई जायेगी।
9. कैम्प में महिला कर्मचारी के माध्यम से महिलाओं के मध्य सैनेटरी नैपकिन का वितरण तथा इसके डिस्पोजल की उचित व्यवस्था की जायेगी।
10. राहत कैम्प में महिलाओं एवं पुरूषों के लिए पृथक–पृथक टॉयलेट एवं स्नानघर की व्यवस्था की जायेगी व उनके नियमित रूप से साफ–सफाई एवं Waste Disposal हेतु आवश्यक प्रबंध किये जायेंगे।
11. भोजन बनाने के स्थल/रसोई घर व खाने वाले स्थान में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। हाथ धोने के लिए साबुन तथा भोजन हेतु स्वच्छ प्लेट, ग्लास आदि की व्यवस्था की जायेगी।
12. राहत कैम्प में Child Friendly Space (बच्चों के लिए खेलने एवं पढ़ने) की समुचित व्यवस्था की जायेगी। बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग से शिक्षकों की ड्यूटी लगायी जायेगी।
13. कैम्प में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों/गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाईयों, 108/102 एम्बुलेन्स एवं 24 घंटे डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
14. राहत कैम्प में नियमित रूप से कीटनाशक दवाईयों, चूने आदि का छिड़काव कराया जायेगा तथा सर्पदंश आदि घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।
15. प्रत्येक राहत कैम्प के लिए खाद्य व्यवस्था, मेडिकल, सुरक्षा, पेयजल, सैनीटेशन, प्रकाश आदि हेतु अलग–अलग संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे तथा उक्त अधिकारियों के नाम तथा मोबाइल नम्बर कैम्प के बाहर फ्लेक्सी बोर्ड/वॉल राइटिंग द्वारा अवश्य अंकित किये जायेंगे।
16. बाढ़ से प्रभावित पशुओं को राहत उपलब्ध कराने हेतु पशु कैम्प की भी स्थापना तथा संचालन किया जायेगा। उक्त कैम्प में पशुओं के लिए चारा, स्वच्छ पेयजल, टीकाकरण आदि की व्यवस्था की जायेगी। पशु कैम्पों में प्रतिदिन साफ–सफाई सुनिश्चित की जायेगी तथा कैम्प में पशुचिकित्सकों की पालीवार रूप से ड्यूटी लगाई जायेगी एवं संबंधित विभाग द्वारा एक नोडल अधिकारी अवश्य नामित किया जायेगा।
17. राहत कैम्पों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को स्थापित किया जायेगा तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कैम्प में रहने वाले शरणार्थियों के साथ मधुर व्यवहार अपनाया जायेगा।

18. कैम्प की समाप्ति के बाद कैम्प स्थल की समुचित साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी।
19. राहत कैम्प में मीडिया ब्रीफिंग के लिए नोड़ल अधिकारी नामित किया जायेगा।
20. राहत कैम्प में निवासित समस्त व्यक्तियों के नाम, पता, फोन नं0 एवं कैम्प में रहने की अवधि का विवरण रजिस्टर में सुरक्षित रखा जायेगा तथा विवरण राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर भरा जायेगा।
21. बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत कैम्प के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु समाचार पत्र, मीडिया एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
22. राहत कैम्पों में पीड़ित परिवारों को अतिरिक्त राहत/सामग्री प्रदान किये जाने हेतु जनपद के स्वयंसेवी संस्थाओं, रोटरी/लायंस क्लब, सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों एवं अन्य संस्थाओं के साथ बैठक कर आवश्यकतानुसार राहत सामग्री का प्रबंधन व वितरण की व्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से की जायेगी।
23. कैम्प के प्रबंधन में लगे हुए अधिकारियों/कर्मचारियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं, रोटरी/लायंस क्लब, सिविल डिफेंस आदि के वालेन्टियर्स को पहचान पत्र प्रदान किये जायेंगे तथा उन्हें अनिवार्य रूप से पहनने के लिए निर्देशित किया जायेगा ताकि कैम्प में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
24. राहत कैम्प की वीडियो फुटेज व फोटो आदि ईमेल–**rahat@nic.in** पर प्रतिदिन अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जायेगा।

(2) बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री दिया जाना

1. भारत सरकार के पत्र संख्या–32–7/2014–एन0डी0एम0–प्रथम, दिनॉक 08.04.2015 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार बाढ़ से सुरक्षित बचाकर राहत कैम्पों में लाये गये व्यक्तियों (शरणार्थियों) तथा जो व्यक्ति राहत कैम्पों के अतिरिक्त तटबन्धों, मैरूण्ड (Marund) गांव आदि में रह रहे है एवं उनकी आजीविका बाढ़ से गम्भीर रूप से प्रभावित हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए अहेतुक सहायता रू0 60 प्रति वयस्क तथा रू0 45 प्रति अवयस्क 30 दिन तक उपलब्ध करायी जा सकेगी।
2. पशु कैम्पों हेतु चारा/पशु संतुलित आहार के अतिरिक्त पानी और दवाओं को अधिकतम 30 दिन के लिए दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी।
3. बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार (05 व्यक्ति औसत) हेतु खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री बोरा/पैकेट/डिब्बा में व्यवस्थित कर **प्रति परिवार को 10 किग्रा0 आटा, 10 किग्रा0 चावल, 10 किग्रा0 आलू, 05 किग्रा0 लाई, 02 किग्रा0 भूना चना, 02 किग्रा0 अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम धनिया, 5 लीटर केरोसिन तेल, 01 पैकेट मोमबत्ती, 01 पैकेट माचिस, 10 पैकेट बिस्कुट, 01 लीटर रिफाइन्ड तेल, 100 टेबलेट क्लोरीन एवं 02 नहाने के साबुन कुल अदद 17 प्रकार की राहत सामग्री** वितरित करायी जायेगी। उक्त सामग्री 01 सप्ताह के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

4. पशु कैम्प अथवा तटबन्ध/मैरूण्ड (Marooned) ग्राम में प्रभावित पशुओं के लिए भी चारे के रूप में 5 किग्रा0 भूसा प्रति दिन प्रति पशु दिया जायेगा।
5. प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सामग्री को ऐसे पैकेट में रखकर वितरित कराया जायेगा, जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित न हो तथा सामग्री सुरक्षित रहे।
6. राहत सामग्री के क्रय किये जाने में सामग्री की उच्च गुणवत्ता तथा वित्तीय नियमों व भारत सरकार के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. जिले में बाढ़ प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को 48 घंटे के अन्दर अभियान चलाकर खाद्यान्न सामग्री वितरित की जायेगी। इसकी एक कार्ययोजना पूर्व से ही तैयार कर ली जायेगी। राहत सामग्री का क्रय, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण का कार्य जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।
8. वितरित की गयी राहत सामग्री तथा लाभार्थी परिवार का पूर्ण विवरण जिला स्तर पर रखा जायेगा तथा उसे प्रतिदिन राहत की वेबसाईट–rahat.up.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।

(3) नाव एवं मोटरबोट का अन्तर्जनपदीय प्रबन्धन

1. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नावों एवं नाविकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी तथा सघन समीक्षा कर उनका सही डिप्लायमेंट किया जायेगा।
2. जनपद में उपलब्ध मोटरबोट/नावों के डिप्लायमेंट के उपरांत यदि अतिरिक्त मोटरबोट/नाव की आवश्यकता पड़ती है तो उसका आंकलन कर अपने सीमावर्ती जनपद अथवा आस–पास के जनपदों से समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार मोटर बोट/नाव की माँग की जायेगी एवं मांग की एक प्रति राहत आयुक्त कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जायेगी। इस कार्य हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो नायब तहसीलदार से अन्यून न हो।
3. आपूर्तिकर्ता जनपद द्वारा माँग के 24 घण्टों के अन्दर मोटरबोट/नावों को भेजने की व्यवस्था की जायेगी एवं इस प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग किया जाएगा।
4. मोटरबोट/नाव की आपूर्ति पर आने वाला समस्त व्ययभार यथा–किराया, डीजल, नाविक का पारिश्रमिक इत्यादि का वहन प्राप्तकर्ता जनपद द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि के मानक के अनुसार किया जायेगा।
5. बाढ़ के दौरान तैनात नाविकों को उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश सं0–199/एक–10–2019–33(143)/2013, दिनांक–11 जून 2019 के अनुसार अर्द्धकुशल कर्मचारी की श्रेणी में मानते हुये निर्धारित दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।

(4)कॉरपोरेट संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अन्य दानदाताओं का सहयोग

उपरोक्त संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राहत सामग्री/मानव संसाधन का सदुपयोग किये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाएगाः–

1. कॉरपोरेट संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अन्य दानदाताओं से समन्वय हेतु जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा।

2. जिलाधिकारी द्वारा जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों एवं कॉरपोरेट संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अन्य दानदाताओं के साथ बैठक आयोजित कर ली जायेगी। बैठक में प्राथमिक रूप से यह विचार–विमर्श कर लिया जायेगा कि दानदाताओं द्वारा राहत सामग्री किस रूप में एवं कब–कब उपलब्ध कराई जायेगी और उसके अनुसार एक कार्ययोजना बनाकर शरणार्थियों को सुनियोजित ढंग से राहत सामग्री का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कॉरपोरेट संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अन्य दानदाताओं के माध्यम से राहत कैम्पों के सुचारू संचालन हेतु राहत कैम्पों को अलग–अलग संस्थानों को आवंटित किया जायेगा। राहत कैम्प के नोडल अधिकारी ऐसी संस्थाओं से सीधे सम्पर्क में रहेंगे।
4. राहत कैम्पों में मोबाइल टॉयलेट, स्वच्छता व सफाई व्यवस्था, सोलर लालटेन, ड्राई फूड पैकेट, कपड़े–बर्तन के किट, चिकित्सा किट, स्वच्छता किट आदि के वितरण में कॉरपोरेट संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अन्य दानदाताओं का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
5. कॉरपोरेट संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अन्य दानदाताओं का नाम, पता, फोन नं0, आवंटित कैम्प, दानदाता द्वारा सहयोग सामग्री/धनराशि का विवरण जनपद स्तर पर अवश्य सुरक्षित रखा जायेगा।

(5) बाढ़ प्रबंधन में उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र/पुरस्कार

बाढ़ प्रबंधन व राहत कार्यो में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों/वालन्टियर्स आदि को उनकी उत्कृष्ट सेवा के मूल्यांकन के आधार पर निम्न श्रेणियों में प्रशस्ति पत्र/पुरस्कृत किया जायेगाः–

क0सं0	श्रेणी	प्रति जनपद संख्या	पुरस्कार का विवरण (प्रति व्यक्ति)
1	लेखपाल,	02	प्रशस्ति पत्र एवं रू0 1100/–
2	पंचायत सचिव एवं अन्य समूह ग और घ के कर्मचारी	02	प्रशस्ति पत्र एवं रू0 1100/–
3	गोताखोर, नाविक एवं राहत कार्य में विशिष्ट योगदान देने वाले समुदाय के सदस्य आदि	04	प्रशस्ति पत्र एवं रू0 1100/–
4	राहत कार्य में विशिष्ट योगदान देने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं, वालन्टियर्स अथवा अन्य प्रतिष्ठानों/संस्थानों के प्रतिनिधि	02	प्रशस्ति पत्र
5	प्रशासनिक अधिकारी	02	प्रशस्ति पत्र
6	केन्द्र/राज्य सरकार की विभिन्न संस्थाओं यथा–एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, पी0ए0सी0, सेना, वायुसेना, एस0एस0बी0, आई0टी0बी0पी0, सी0आर0पी0एफ0, पुलिस आदि।	02	प्रशस्ति पत्र

3– इस हेतु बाढ़ प्रबंधन व राहत कार्यो में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों/वालन्टियर्स आदि के कार्यो का मूल्यांकन करते हुए संबंधित जिलाधिकारी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ प्रस्ताव शासन को निम्नलिखित प्रारूप पर उपलब्ध करायेंगेः–

क0सं0	नाम,पता/पदनाम/ मोबाइल नं0	श्रेणी	बाढ़ प्रबंधन व राहत कार्य में विशिष्ट योगदान का विवरण (अधिकतम 100 शब्दों में)

कृपया उपर्युक्तानुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

12/8/21

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–340(1)/एक–11–2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह, बेसिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायतीराज, सिंचाई, ऊर्जा, ग्राम्य विकास, नगर विकास, कृषि, भूमि विकास एवं जल संसाधन, वन, लघु सिंचाई, खाद्य एवं रसद, पशुधन एवं मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
7– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
12. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
13. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
14. राजस्व अनुभाग–10, उत्तर प्रदेश शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।